कार्यालय आरबीट्रेटर (संभागीय आयुक्त, जयपुर)
प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन सख्याः–1/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00309)

1. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड पता सी–16 खुशी विहार पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर, जयपुर जरिये मुख्य परियोजना प्रबन्धक/महाप्रबन्धक समन्वय

––प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र पेपाराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी भोमगढ तहसील नीम का थाना जिला सीकर।
2. श्रवण कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति गुर्जर निवासी भोमगढ़ तहसील नीम का थाना जिला सीकर।
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीम का थाना, कस्बा नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान।

––अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–

1. श्री मिखिल अग्रवाल, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री रामस्वरूप स्वय अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः 21.12.2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन धारा 20 एफ(6) रेल्वे अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ.4051(अ) दिनांक 14.12.2016 द्वारा अधिसूचित विशेष रेल परियोजना पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, रख रखाव प्रबन्ध और प्रचालन के लिऐ लोक प्रयोजन हेतु जिला सीकर में स्थित ग्राम भोमगढ़ तहसील नीम का थाना की 0.0995 हैक्टयर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव मुख्य परियोजना प्रबन्ध डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को सूचित किया गया, उक्त भूमि के विवरण की अधिसूचना रेल संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20ए के तहत भारत सरकार क राजपत्र दिनांक 14.12.2016 को प्रकाशित की गई जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में सर्वसाधारण के सूचनार्थ दिनांक 13.01.2017 को प्रकाशित कर समस्त हितबद्ध व्यक्तियों से 30 दिवस के अन्दर आपत्ति आमंत्रित की गई। उक्त भूमि के खसरा नम्बर 272 में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 भाग तथा अप्रार्थी संख्या 2 का 1/8 भाग इस प्रकार खसरा नम्बर 274/1 में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 भाग तथा अप्रार्थी संख्या 2 का 1/8 भाग एवं खसरा नम्बर 271/1 में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 भाग तथा अप्रार्थी संख्या

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

2 का 1/8 भाग निहित था, उपरोक्त खसरा नम्बरान 272, 274/1 तथा 271/1 के अन्य खातेदारान/हिस्सेदारान ने मुआवजा राशि को स्वीकार कर लिया। उपरोक्त खसरा नम्बरान के मुआवजा राशि के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीम का थाना के द्वारा रेल्वे अधिनियम के प्रावधानों एवं धारा 20 ए 8(ए) को मद्देनजर रखकर दिनांक 16.08.2017 को अवार्ड पारित किया गया था।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि दिनांक 14.06.2017 को प्रार्थी/प्रोजेकट मैनेजर डीएफसीसीआईएल जयपुर के द्वारा एक पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रेषित कर अवगत कराया गया कि ग्राम भोमगढ में क्रोसिंग गेट नम्बर 82 पर अण्डरपास के निर्माण के लिये खसरा नम्बर 272 में 0.0155 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 271 में 0.0250 हैक्टयर भूमि अवाप्त करने के लिऐ धारा 20ए दिनांक 13.01.2017 एवं 20ई की अधिसूचना दिनांक 16.05.2017 को जारी की जा चुकी है तथा धारा 20ई की उपधारा 2 के अनुसार घोषणा के प्रकाशन पर भूमि सभी विल्लगमों से मुक्त रूप से पूर्णतया केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है एवं खसरा नम्बर 272 एवं 271 की जमाबंदी में भी रेल विभाग के नाम दर्ज है परन्तु खसरा नम्बर 272 व 271 में 20 ई के अर्न्तगत अधिसूचित रकबे पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा नया निमार्ण कर अतिक्रमण किया जा रहा है तथा उपरोक्त खसरा नम्बरान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को तुरन्त प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही कर रूकवाने का कष्ट करें। उक्त पत्र के संदर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा तहसीलदार नीम का थाना से उक्त अवैध निमार्ण को मौके पर जाकर रूकवाने व मौके की रिर्पाट से अवगत कराने की हिदायत दी गई जिस पर तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 21.07.2017 के अनुसार पटवारी हल्का एवं गिरदावर निरीक्षक सिरोही ने उक्त अवाप्तशुदा भूमि में रेल्वे संशोधन अधिनियम 2008 के अन्तर्गत धारा 20ए का उल्लंघन करते हुए पुख्ता मकानों को निमार्ण श्रवण कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद एवं रामस्वरूप पुत्र पेपाराम गुर्जर द्वारा 2 माह के दरमियान किया जाना माना है। तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 21.07.2017 के द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा रेल्वे संशोधन अधिनियम 2008 के अन्तर्गत धारा 20 ई का उल्लंघन करते हुए पुख्ता नये मकानों का निमार्ण दो माह के दरमियान अवैध रूप से किया गया जिसका मुआवजा दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उसके उपरान्त दिनांक 05.06.2018 को अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा संशोधित अभिनिर्णय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में अवैध रूप से एवं प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया जिसका कोई विधिक अधिकार अप्रार्थी संख्या 3 को प्राप्त नही था। चुनौतीग्रस्त अवार्ड/संशोधित अवार्ड दिनांक 05.06.2018 विधि के प्रावधानों एवं उपरोक्त वर्णित आधारों के खिलाफ होने के कारण निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करें।

रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 272, 274/1 271/1 स्थित ग्राम भोमगढ़ में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 भाग

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

जमाबन्दी में कही भी दर्ज नही है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता पेमाराम की मृम्यु होना दर्ज किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता वर्तमान में जीवित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कोई किसी भी प्रकार की भूमि राजस्व ग्राम भोमगढ में दर्ज नही है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में संशोधित अभिनिर्णय दिनांक 05.06.2018 को किसी भी प्रकार का अवार्ड अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नही हुआ है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि प्रार्थी के द्वारा एक रंजिश के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपने पत्रांक 347 दिनांक 25.11.2021 में अंकित किया है कि उक्त भूमियो के सह खातेदार पेमाराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/4 व श्रवण पुत्र. हनुमान हिस्सा 1/8 वगैरह के पक्ष में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 16.08.2017 को अवार्ड पारित किया गया है, इस पर उक्त सह खातेदारों द्वारा अवाप्तधीन भूमि में मकान निर्मित होने पर पारित अवार्ड में संशोधन चाहा गया जिसके क्रम में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 07.05.2018 को संशोधित व दिनांक 05.06.2018 को पुर्नसंशोधित अवार्ड पारित किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर मौजूद एवं प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में अंकित रिर्पोट तहसीलदार दिनांक 21.07.2017 द्वारा स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 द्वारा प्रश्नगत निमार्ण राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 25.04.2017 के बाद किया गया है जो कि नियमानुसार एवं विधि सम्मत नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किसी प्रकार का अभिनिर्णय पारित नही किया गया है उसके उपरान्त भी बिना ठोस तथ्यों के अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीम का थाना जिला सीकर द्वारा पारित अभिनिर्णय दिनांक 05.06. 2018 को निरस्त किया जाता है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीम का थाना जिला सीकर का निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार ब्याज राशि सहित मुआवजा राशि का भुगतान नियमानुसार अविलम्ब खातेदारान/काश्तकारान को कराया जावें।

(दिनेश कुमार यादव)
आरबीट्रेटर,
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।